न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्रावली–पत्र संख्या :–142/2023 दायर दिनांक: 30.06.2023

CMS NO:- 2023/214 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

श्योजीलाल पुत्र रामरतन जाति गुर्जर नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ वगै. (कुल 3)।

– प्रार्थीगण

बनाम

नवलकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति महाजन नि. बामनगांव तहसील नैनवॉ वगै0। (कुल 17)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर धाकड।

प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 26.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बामनगांव के खसरा नम्बर 1763 व 1764 जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी भूमि है, पर जाने के लिए एक पुराना रास्ता जो कि बामनगांव से नैनवॉ जाने वाले आम रोड से फटकर खसरा नम्बर 1754 व 1754/2967 की दक्षिणी मेर से होता हुआ पूर्वी मेर से फटकर उत्तर की ओर जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाता है, 12 फीट चौडा है, को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार 20 फीट किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाये जाने बाबत् निवेदन किया गया था। जिस कम मे तत्समय सुनवाई की जाकर दिनांक 02.12.2021 को प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1763 व 1764 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 1759, 1760/3212 व 1760 मे से रास्ता दिया जाने का निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय दिनांक 02.12.2021 से व्यथित होकर खसरा नम्बर 1759 व 1760/3212 के खातेदारान द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां अपील इस आशय के साथ पेश कर दी गयी कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे पक्षकार बनाये विना ही निर्णय पारित कर दिया जिसमे माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2023 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.12.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलाण्टगण को अप्रार्थीगण के रूप मे पक्षकार कायम कर उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करने हुए नवीन निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 17.4.2023 की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से पुर्व वकालातनामा अनुसार अधिवक्ता श्री महावीर धाकड ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया द्वारा वकालातनामा एवं जवाब पेश किया गया।

दिनांक 17.6.2025 को हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 1763व 1764 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा शेष सहखातेदारान की सहमति पेश करने का निवेदन किया। निवेदन इस आशय से स्वीकार किया गया कि शेष सहखातेदारान को मय पहचान पत्र न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख 20.06.2025 को उपस्थित होकर सहमति पेश करनी होगी। दिनांक 20.06.2025 को प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा शेष सहखातेदारान को आगामी तारीख पेशी पर उनकी आईडी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर ओर चाहा। न्यायालय द्वारा लोकहित मे एक अवसर ओर दिया गया। आज दिनांक 26.06.2025 को प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा शेष सहखातेदारान के उपस्थित होने मे असमर्थता जाहिर करते हुए एक अवसर ओर दिये जाने का निवेदन कर एक प्रार्थना पत्र सहखातेदार 3 लगायत 9 की ओर से सहमति बावत् पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 1763व 1764 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा शेष सहखातेदारान को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सहमति पेश करने संबंधी निवेदन किया गया लेकिन कई मर्तबा अवसर देने के बावजूद भी उनके द्वारा शेष सहखातेदारान को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुनः अवसर चाहा गया जिससे प्रतीत होता है कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे अनावश्यक विलम्ब करने की दृष्टि से बार बार अवसर चाहा जा रहा है अतः अवसर बंद किया जाता है। बिना विधिवत विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ